कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शहडोल, जिला शहडोल (म.प्र.)

(फोन नं. 07652-241700, ईमेल- dmshahdol@gmail.com)

-:आदेश:-

(अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144)

क्रमांक/ 983 /आर.डी.एम./पंचा.निर्वा./2022 :: राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा को दृष्टिगत रखते हुए कुछ असामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे - फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्यूटर इत्यादि के माध्यम का दुरूपयोग कर साम्प्रदायिक, धार्मिक तथा जातिगत विव्देष पहुंचाने से दुर्भावना पूर्ण पोस्ट करने की सूचनाएं प्राप्त होती रही है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि शहडोल जिले के जनपद क्षेत्रांतर्गत व्यक्तियों एवं असामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्वीटर, इत्यादि पर साम्प्रदायिक तथा जातिगत विव्देष दुर्भावना पूर्ण संदेशों को पूर्णतः प्रतिबंधित करने तथा जनसामान्य सुरक्षा व सामुदायिक एवं धार्मिक सद्भावना तथा लोक परिशांति बनाये रखने के लिए तत्काल प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित किया जाना आवश्यक है।

शहडोल, दिनांक 27, मई, 2022

अतः मैं वंदना वैद्य कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शहडोल, शहडोल जिले के समस्त जनपद क्षेत्रों के भीतर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन निम्नानुसार प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित करती हूं:-

1- कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो जैसे- व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्वीटर, एस.एम.एस., इन्स्टाग्राम इत्यादि का दुरूपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं को भड़कानें के लिए किसी भी प्रकार के संदेशों का प्रसारण नहीं करेगा।

2- कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वर्णित सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो, ऑडियों, वीडियों इत्यादि भी सम्मिलित है, जिसमें धार्मिक, सामाजिक, जातिगत आदि भावनाएं भड़क सकती है या साम्प्रदायिक विव्देष पैदा होता हो, को न ही प्रसारित करेगा या भेजेगा ।

3- सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक, साम्प्रदायिक एवं जातिगत भावना भड़कती हो, को कमेंट, लाईक, शेयर या फारवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके।

4- कोई भी व्यक्ति सामुदायिक, धार्मिक, जातिगत विव्देष फैलाने या लोगों अथवा समुदाय के मध्य घृणा, वैमनस्यता पैदा करने या दुष्प्रेरित करने या उकसाने या हिंसा हेतु फैलाने का प्रयास उपरोक्त माध्यमों से नहीं करेगा और न ही इसके लिए प्रेरित करेंगा।

5- कोई भी व्यक्ति अपवाह या तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर भड़कानें / उन्माद उत्पन्न करने वाले संदेश जिससे लोग या समुदाय विशेष हिंसा या गैर कानूनी गतिविधियों में संलग्न हो जाए को प्रसारित नहीं करेगा और न ही लाईक, शेयर या फारवर्ड करेगा तथा न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा।

6- कोई भी व्यक्ति/समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा जिनसे किसी व्यक्ति/संगठन/समुदाय आदि को एक स्थान पर या एक राय होकर जमा होने या उनसे कोई विशेष कार्य या गैर-कानूनी गतिविधियां करने हेतु आव्हान किया गया हो, जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना विद्यमान हो ।

Van

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
शहडोल(म.प्र.)

यह आदेश आमजन को संबोधित है। चूंकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जावें। अत: यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है।

यह आदेश शहडोल जिले के समस्त जनपद क्षेत्रों में निवासरत प्रत्येक नागरिक को सम्यक रूप से व्यक्तिश: तामील कराया जाना संभव नहीं है अतएव सार्वजनिक माध्यमों इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं सामाचार पत्रों के माध्यम से सर्व संबंधितों को अवगत कराया जा रहा है। संबंधित समस्त अपने-अपने विभागीय माध्यमों से उक्त आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा संबंधितों को तामील कराया जाना सुनिश्चित करें। सहायक संचालक शहडोल सभी समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में नि:शुल्क प्रकाशन और प्रसारण कराया जाना सुनिचित करें।

इस आदेश का उल्लघंन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 सायबर विधि तथा अन्य सुसंगतों प्रावधानों के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

यह आदेश आज दिनांक 27, मई, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(वंदना वैद्य)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
शहडोल (म.प्र.)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला शहडोल (म.प्र.)

पृ.क्रमांक-आपदा नि.आ./री.ए.डी.एम./2022/983-A

शहडोल दिनांक 27, मई, 2022

प्रतिलिपि :-

1- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
2- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
3- सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग म.प्र. शासन भोपाल।
4- आयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन म.प्र. शासन भोपाल ।
5- कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
6- अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल रेंज, शहडोल (म.प्र.) ।
7- उप पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल रेंज, शहडोल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
8- पुलिस अधीक्षक, शहडोल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9- अपर जिला मजिस्ट्रेट, शहडोल (म.प्र.) ।
10- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला शहडोल (म.प्र.) ।
11- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला शहडोल (म.प्र.)।
12- उपखण्ड मजिस्ट्रेट / कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, समस्त, जिला शहडोल (म.प्र.) ।
13- अनुविभागीय अधिकारी पुलिस समस्त जिला शहडोल (म.प्र.) ।
14- तहसीलदार/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट समस्त जिला शहडोल (म.प्र.) ।
15- मुख्य नगर पालिका/नगर पंचायत अधिकारी समस्त जिला शहडोल (म.प्र.) ।
16- समस्त थाना प्रभारी जिला शहडोल (म.प्र.) ।
17- जिल के समस्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष जिला शहडोल (म.प्र.) ।
18- उप संचालक, जनसम्पर्क, शहडोल (म.प्र.) की ओर प्रकाशनार्थ।
19- स्टेनो टू कलेक्टर, जिला शहडोल (म.प्र.) ।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
जिला शहडोल (म.प्र.)